रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1681] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2013/आषाढ़ 27, 1935
No. 1681] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2013/ASADHA 27, 1935

गृह मंत्रालय

(सीमा प्रबंधन विभाग)

(भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2013

का.आ. 2186(अ).—भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** .— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** .— (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में इसके लिए दिया गया है ।

(घ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ।

2. ऐसे शब्दों एवं पदों, जो यहां प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिए गए है ।

3. **प्राधिकरण की बैठक का समय एवं स्थान.**— (1) प्राधिकरण की बैठक इसके दिल्ली स्थित मुख्यालय या एकीकृत जांच चौकी या किसी ऐसे अन्य स्थान पर होगी जो अध्यक्ष अवधारित करें ।

(2) प्राधिकरण की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी ।

(3) यदि अध्यक्ष किसी कारण से प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य पूर्णकालिक सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

Scanned by CamScanner

(4) प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष प्रस्तुत सभी मुद्दों का निर्णय उपस्थित एवं मतदानकर्त्ता सदस्यों के बहुमत द्वारा ि जाएगा और बराबरी (टाई) की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति मतदान करेगा ।

4. **प्राधिकरण की बैठक बुलाने की शक्ति.**—(1) अध्यक्ष किसी भी समय प्राधिकरण की बैठक बुला सकता है ।

(2) अध्यक्ष उस स्थिति में बैठक बुलाएगा जब इस प्रयोजनार्थ पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा उसके समक्ष लिखित में ऐसी मांग रखी जाती है जिससे बुलाई जाने वाली प्रस्तावित बैठक के विषय को विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

5. **बैठक के लिए नोटिस.**—(1) प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक सदस्य, जो तत्समय भारत में है, को आस्थगित बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक के लिए पूरे दस दिन या दस से अधिक दिनों का नोटिस देगा ।

(2) नोटिस की तामीली किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या ऐसे व्यक्ति को संबोधित फैक्स, ई-मेल या डाक या कूरियर सहित इलैक्ट्रोनिक रूप से या किन्ही ऐसे संचार माध्यमों, जो उचित समझे जाएं, से की जा सकती है ।

(3) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को ऐसे नोटिस देने में किसी भूल से किसी ऐसी बैठक में पारित कोई संकल्प अधिमान्य नहीं होगा ।

(4) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण की बैठक जिसमें अध्यक्ष द्वारा तत्काल माने गए किसी मामले को लिया जाना हो, अल्पसूचना पर बुलाई जा सकती है ।

6. **कोरम.**— (1) प्राधिकरण की किसी बैठक में कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि ऐसी बैठक में कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्य उपस्थित न हों और सदस्य के किसी रिक्त पद को कोरम के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जाएगा ।

7. **बैठक को आस्थगित किया जाना.**—(1) अध्यक्ष प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से बैठक को समय-समय पर आस्थगित कर सकता है ।

(2) एजेंडा में शामिल कार्य मदों से भिन्न किसी कार्य मद पर इस प्रकार की आस्थगित बैठक में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । इस पर अध्यक्ष महोदय की सहमति से ही कार्रवाई की जा सकती है ।

8. **कागजातों के परिचालन के द्वारा कार्य संचालन.**— (1) कोई भी कार्रवाई जिसका संचालन प्राधिकरण के लिए आवश्यक है इस मामले की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए तत्समय भारत में मौजूद सभी सदस्यों को उनके पते पर कागजातों के परिचालन के द्वारा तभी की जाए यदि अध्यक्ष महोदय इसका निर्देश दें और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत से परिचालित और अनुमोदित कोई संकल्प इस प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो उक्त संकल्प प्राधिकरण की बैठक में पारित किया गया हो ।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत अनुमोदित प्रत्येक संकल्प को, प्राधिकरण की अगली सामान्य बैठक से पूर्व अनुमोदित किए जाने के बाद यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा और यदि प्राधिकरण उक्त संकल्प में कोई आशोधन करने के लिए सहमत हो अथवा उक्त प्राधिकरण इस बात पर सहमत हो कि इस संकल्प का अनुसमर्थन नहीं किया जाना चाहिए तो उक्त संकल्प तत्पश्चात् इस प्रकार के आशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; तथापि इस प्रकार का कोई आशोधन अथवा इसके अनुसमर्थन न किए जाने से इस संकल्प के अंतर्गत पूर्व में की गई किसी कार्रवाई की वैधता को क्षति नहीं पहुंचेगी ।

(3) जब किसी कार्रवाई के बारे में परिचालन के द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाए तो सदस्यों से उत्तर प्राप्ति हेतु ऐसी अवधि, जो दस दिन से कम न हों और तीस दिन से अधिक न हो, की अनुमति दी जाएगी, इस प्रकार की अवधि की गणना उस तारीख से की जाए जिसको कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया हो ।

(4) यदि कोई संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन के परिणाम के बारे में सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा ।

9. **बैठक का कार्यवृत्त.**— (1) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा बैठक की तारीख के सात कार्य दिवसों के भीतर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के निर्देश से तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसे तुरंत सदस्यों को परिचालित किया जाएगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार तैयार किए गए प्रत्येक मीटिंग के दस्तावेजों को उस बैठक, जिससे कार्यवृत्त संबंधित है, के बाद आयोजित की जाने वाली प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) सदस्यों से प्राप्त सुझाव और टिप्पणियों पर बैठक में उस समय विचार किया जाएगा जब कार्यवृत्त इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

(4) प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उक्त कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई को अवैध नहीं माना जाएगा ।

(5) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में कार्यवाहियों से संबंधित कार्यवृत्त तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के नामों की कार्यवृत्त के फोलियों में प्रविष्टि की जाएगी तथा उपस्थित व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

Scanned by CamScanner

(6) कार्यवृत्त फोलियो उचित समय पर प्राधिकरण के कार्यालय में बिना भुगतान के प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला होगा ।

[फा. सं. 13/4/2013-बी ए डी पी(एल पी ए आई)]

युद्धवीर सिंह सहरावत, अध्यक्ष

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Border Management)

(LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2013

S.O. 2186(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 35 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely —

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Transaction of Businees) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these regulations, unless the context otherwise reguires.—

(a) "Act" means the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010);

(b) "Authority" means the Land Ports Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;

(d) "Member" means a member of the Authority.

(2) Words and expression unsed herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Time and place of meeting of the Authority.**— (1) The Authority shall meet at its headquarter at Delhi or at the location of Intergrated Check Post or at any other place as the Chairperson may determine.

(2) The Authority shall meet at least once in three months.

(3) The Chairperson, if for any reason, is unable to attend any meeting of the Authority, any other whole-time Member chosen by the Members present at the meeting shall preside at the meeting.

(4) All issues placed before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of a tie, the Chairperson, or in his absence the person presiding shall have and exercise a casting vote.

4. **Power to call a meeting of the Authority.**— (1) The Chairperson may, at any time, call a meeting of the Authority.

(2) The Chairperson shall call a meeting if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than five members specifying the subject of the meeting proposed to be called.

5. **Notice for meeting.**— (1) The Authority shall give not less than ten clear days notice of every meeting, other than an adjourned meeting, to each member who is for the time being in India.

(2) A notice may be served upon a Member either personally or electronically including fax, e-mail or by post or courier addressed to such Member or by any such means of communication as deemed fit.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) any omission to give any such notice to any of

IndiaCode

Scanned by CamScanner

the members shall not invalidate any resolution passed at any such meeting.

(4) Notwithstanding anyting contained in sub-regulation (1), a meeting of the Authority at which any matter which is considered urgent by the Chairperson has to be taken, may be called at a shorter notice.

6. **Quorum.**— (1) No business shall be transacted in meeting of the Authority unless there are at least one fourth of the total members present in such meeting and no vacant post of member shall be counted for the purposes of quorum.

7. **Adjournment of meeting.**— (1) The Chairperson may, with the consent of the members present at any meeting of the Authority, adjourn the meeting from time to time.

(2) No business other than that which is included in the agenda shall be transacted at any such adjourned meeting except with the consent of the Chairperson.

8. **Transaction of business by circulation of papers.**— (1) Any business which it may be necessary for the Authority to transact may, if the Chairperson directs, be dealt with by circulation of papers without prejudice to the confidentially of the matter, among all the members for the time being in India at their usual address, and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing, shall be as effective and binding as if the resolution had been passed at meeting of the Authority.

(2) Every resolution approved under sub-regulation (1) shall be laid, as soon as may be, after it is approved before the next ordinary meeting of the Authority, and if the Authority agrees in making any modification in the resolution or the Authority agrees that the resolution should not be ratified, the resolution shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or non-ratification shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that resolution.

(3) When any business is so referred to the members by circulation, a period of not less than ten and not more than thirty clear days shall be allowed for the receipt of replies from the members, such period to be counted from the date on which the notice of business is issued.

(4) If a resolution is circulated, the result of circulation shall be communicated to all members.

9. **Minutes of the meeting.**— (1) The draft minutes of each meeting shall be prepared under the direction of the person presiding over the meeting within seven working days of the date of the meeting and shall thereafter be forthwith circulated to all Members.

(2) The proceedings of every meeting prepared in accordance with sub-regulation (1) shall be placed at the next meeting of the Authority held after the meeting to which the minutes relate.

(3) The suggestion or comments as may be received from Members shall be considered at the meeting where the minutes are placed before it.

(4) Any action taken pursuant to the minutes, prior to placement, shall not be rendered invalid.

(5) The minutes recording the proceedings at every meeting of the Authority and the names of the Members present there at shall be entered in the Minutes folio and signed by the person presiding.

(6) The Minutes folio shall be open for inspection by any Member of the Authority without payment at the office of the Authority at all reasonable times.

[F. No. 13/4/2013-BADP(LPAI)]

YUDHVIR SINGH SHAHRAWAT, Chairman

Scanned by CamScanner